न्यायालय श्री मान राजस्व मन्डल म०प्र० ग्वालियर। म०प्र०।
राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक

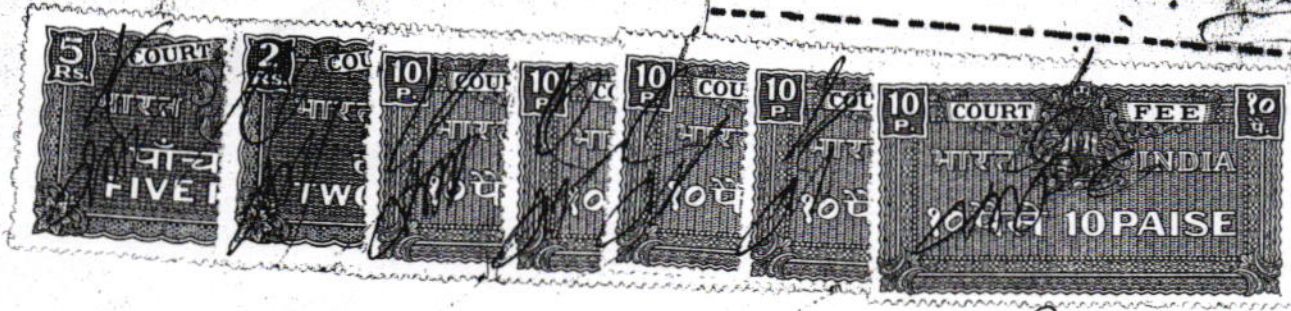

COURT FEE 5 Rs. FIVE
COURT FEE 2 Rs. TWO
COURT FEE 10 P. १० पैसे (×5)
COURT FEE 10 P. भारत INDIA १० पैसे 10 PAISE

नि०ता० 24-IV/91

रामनिवास तनय कौशल प्रसाद उर्फ कमिशल प्रसाद ब्रा० सा० किन अढ़की कला, तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र० -- आवेदक

बनाम

१- शासन म०प्र०
२- श्रीमती सावित्री कुमारी बेवा पत्नी आनन्दपालसिंह
३- श्री मती सुशीला कुमारी बेवा पत्नी आनन्दपालसिंह,
४- श्रीमती चन्द्रप्रभा सिंह पुत्री आनन्दपाल सिंह,
५- कुमारी इन्दुप्रभा सिंह पुत्री आनन्दपाल, सिंह।
६- जीतेन्द्र सिंह, पिसरान आनन्दपाल सिंह,
७- मनोज कुमार सिंह।

तीनों नाबालिगान जरिये वली संरक्षिका माँ श्रीमती सुशीला कुमारी सिंह सभी सा० उर्फ, तहसील हुजूर, जिला रीवा -- अनाविदगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा दिनांक २६-२-९१ जिस आदेश के जरिये आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया गया ~~......~~

मान्यवर

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

१-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 24–चार/1991 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–08–2016	आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । अनावेदक क्र0 1 की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक क्र0 2 व 3 पूर्व से एकपक्षीय । 2/ आवेदक की ओर से अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि अपर आयुक्त रीवा संभाग, री ा के न्यायालय में आवेदक द्वारा स्थंगन का आवेदन प्रस्तुत किया गया था । अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी क्रारण के एव बिना किसी आधार के स्थंगन का आवेदन–पत्र निरस्त किया गया है । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी कहा गया है कि अपर आयुक्त रीवा को स्थंगन का आदेश दिया जाना चाहिये था, यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रश्नाधीन भूमियों का बंटन एवं व्यवस्थापन अन्य व्यक्तियों को हो जायेगा, जिससे आवेदक को अपूर्तनीय क्षति होगी। इस संबंध में आवेदक द्वारा शपथ–पत्र अपर आयुक्त रीवा के समक्ष पेश किया गया था, किन्तु अपर आयुक्त ने इन बातों पर ध्यान दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है। आवेदक को तकनिकी के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। अतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी पर गौर करते हुये अपर आयुक्त	

रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.91 निरस्त किया जावे ।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गये एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण का अवलोकन किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थंगन का आवेदन– पत्र औचित्य पूर्ण न होने के कारण प्रथम पेशी पर ही प्रकरण निरस्त कर दिया गया हैं जो मेरे मतानुसार उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते, ताकि हितबद्ध पक्षकार अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत कर सकें।

4/ अतः प्रकरण में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.91 को 3 माह तक के लिये यथास्थिति बनाये रखते हुये, उन्हें इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दें तथा 3 माह में प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण करें । प्रकरण समाप्त किया जाता है । अभिलेख दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य